Form No- III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अजअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

सारस्वती देवी आदि

बनाम

सरकार

किस्म मुकदमा :–प्रार्थना पत्र नं. 46 सन् 2020

अर्न्तगत धारा :–राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 212 136

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलराजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
12-10-2020	आज यह प्रार्थना पत्र श्री ओमप्रकाश आचार्य एडवोकेट ने पेश किया। प्रार्थना पत्र सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावें। सम्बन्धित पक्षकारों को जरिये नोटिस तलब किया जावें। पत्रावली दिनांक 19/11/2020 को पेश हों।	
17.11.2020	आज वकूलाय * अदालत कार्य स्थगित कर रखा है मिसल वास्ते ... तामील ... दि 21.1.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत	
21.1.2021	पत्रावली आज पेश हुई तहसीलदार कोलायत से रिपोर्ट हेतु पत्रावली भिजवाई दिनांक 28.1.2021 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर	
28.1.2021	वकुलाय फेरीकेन उपस्थित। मिसल वास्ते ... PR मिसल ... दिनांक 2.2.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कोलायत	

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिषियलराजज
02-02-2021	पत्रावली पेश हुवी। प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता एंव राज पैरोकार उपस्थित। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत की ओर से रिर्पोट पेश हुई। जो शामिल मिसल रहे। प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि वाके रोही मोजा चक डाडर, तहसील कोलायत, जिला बीकोनर के खसरा नं. 91 तादादी 4.5500 हैक्टर है जिसमें प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/4 अविभाजित हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के नाम क्रमशः सम्पति, लिछमणराम व मूलाराम नाम का अंकन है के स्थान पर प्रार्थीगण के नाम सरस्वतीदेवी पत्नि स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल, लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल व मूलचन्द पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल का अंकन किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एंव सम्बन्धित कृषि भूमि का रिकॉर्ड तथा उनके आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड व बैंक डायरी के दस्तावेजो का आवलोकन किया जिनमें प्रार्थीगण का नाम सरस्वतीदेवी पत्नि स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल, लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल व मूलचन्द पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल अंकित है। इसलिए प्रार्थीगण के नाम उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में शुद्धिकरण किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि की जमाबंदी एंव तदआधारित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के नाम सम्पति, लिछमणराम व मूलाराम के स्थान पर सरस्वतीदेवी पत्नि स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल, लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल व मूलचन्द पुत्र स्व. श्री बंशीराम उर्फ बंशीलाल का नाम शुद्धिकरण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को आदेश की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर हरब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 2.2.21 को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला-बीकानेर